



2026:AHC:62384

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध, धारा 482 के तहत अग्रिम जमानत

आवेदन बीएनएसएस क्रमांक - 1965/2026

नागेंद्र तिवारी और 3 अन्य

....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

....विपरीत
पक्ष

आवेदक के अधिवक्ता : के.के. राव, संतोष कुमार
पांडे,सर्वजीत सिंह चौहान

विपक्षी पक्ष के अधिवक्ता : आशीष कुमार, जीए, गौरांग
कुलश्रेष्ठ

न्यायालय संख्या - 72

माननीय न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार सिन्हा

- हमने याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री के.के. राव और श्री संतोष कुमार पांडे, राज्य के विद्वान एजीए श्री बी.पी. सिंह की दलीलें सुनीं और रिकॉर्ड का अवलोकन किया। हालांकि, शिकायतकर्ता की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।
- 18.03.2026 को इस मामले पर सुनवाई हुई और इसे 20.03.2026 को शीर्ष बीस मामलों में नए सिरे से सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. यह आवेदन शिकायत मामले संख्या 3014/2024 (हिमकार तिवारी बनाम जगन पाठक और अन्य) में आईपीसी की धारा 420, 120बी, 467, 468 और 471 के तहत पुलिस स्टेशन-महावन, जिला-मथुरा में माननीय सिविल जज (एसडी), एफटीसी/एसीजेएम, मथुरा के समक्ष लंबित मामले में अग्रिम जमानत की मांग करते हुए दायर किया गया है, जिसमें यह प्रार्थना की गई है कि गिरफ्तारी की स्थिति में आवेदक को जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

4. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि दीवानी विवाद को आपराधिक रंग दिया गया है और आवेदकों के विरुद्ध लगाए गए कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं। उन्होंने आगे कहा कि यह मामला प्रबंधन समिति के चुनाव और प्रशासन से संबंधित विवाद से जुड़ा है। उन्होंने यह भी कहा कि आवेदक मुकदमे के दौरान सहयोग करने का वचन देते हैं और जांच एजेंसी या न्यायालय द्वारा आवश्यकता पड़ने पर उपस्थित होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि यदि आवेदकों को अग्रिम जमानत दी जाती है, तो वे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेंगे और जांच में सहयोग करेंगे तथा जमानत की सभी शर्तों का पालन करेंगे।

5. दूसरी ओर, विद्वान एजीए ने अग्रिम जमानत के आवेदन का विरोध किया है।

6. यह उल्लेख किया जा सकता है कि सिद्धाराम सतलिंगप्पा म्हेत्रे बनाम महाराष्ट्र राज्य (2011) 1 एससीसी 694 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना है कि अग्रिम जमानत का निर्णय करते समय न्यायालय को आरोप की



प्रकृति और गंभीरता, आरोपी का पूर्ववृत्त, आरोपी के न्याय से भागने की संभावना पर विचार करना चाहिए और न्यायालय को आरोपी के खिलाफ उपलब्ध सभी सामग्री का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना चाहिए तथा आरोपी की सटीक भूमिका को भी ध्यान में रखना चाहिए।

7. इस मामले में, अग्रिम जमानत के संबंध में कानून के स्थापित सिद्धांत, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलें, आवेदकों की भूमिका और मामले के सभी प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, अग्रिम जमानत का मामला बनता है।

8. अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार कर ली गई है।

9. उपरोक्त मामले में अपराध के लिए अभियोक्ता संख्या 1, 2, 3 और 4, अर्थात् नागेंद्र तिवारी, दीन दयाल पचौरी, विशन चंद पारसर और राजेंद्र प्रसाद उपाध्याय की गिरफ्तारी की स्थिति में, उन्हें संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार 50,000/- रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के दो जमानती प्रस्तुत करने पर अग्रिम जमानत पर निम्नलिखित शर्तों के साथ रिहा किया जाएगा:-

(i) आवेदकों को साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए और उन्हें निर्धारित तिथि पर निचली अदालत के समक्ष उपस्थित होना चाहिए, जब तक कि संबंधित न्यायालय द्वारा उन्हें छूट न दी गई हो;



(ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेंगे ताकि उन्हें न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके;

(iii) आवेदक मुकदमे की सुनवाई के दौरान सहयोग करेंगे और जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेंगे।

(iv) आवेदक संबंधित न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेंगे।

10. किसी भी शर्त का पालन न करने की स्थिति में, अभियोजन पक्ष को यह स्वतंत्रता होगी कि वह...आवेदकों को दी गई अग्रिम जमानत को रद्द करने के लिए उचित आवेदन दाखिल करें।

20 मार्च, 2026

(न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा)



Translated version, Not for Legal Use.

**अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।**